श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.03.2025 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–56 का उत्तर प्रतिवेदन :–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में विगत दो माह में चोरी, छिनतई और गोलीकांड की करीब 65 घटनाएं हुई है और ऐसी ही स्थिति राँची शहर में भी है;</td><td>पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिलान्तर्गत
<table>
<tr><th>अपराध शीर्ष</th><th>जनवरी 2024</th><th>फरवरी 2024</th><th>कुल</th><th>जनवरी 2025</th><th>फरवरी 2025</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>चोरी</td><td>80</td><td>85</td><td>165</td><td>58</td><td>41</td><td>99</td></tr>
<tr><td>छिनतई</td><td>06</td><td>05</td><td>11</td><td>03</td><td>08</td><td>11</td></tr>
<tr><td>गोलीकांड</td><td>03</td><td>02</td><td>05</td><td>04</td><td>02</td><td>06</td></tr>
</table>
राँची नगर क्षेत्र अन्तर्गत विगत दो माह से चोरी, छिनतई एवं गोली कांड के करीब 56 घटनाएँ हुई है, जिसमे गृहभेदन के 39, छिनतई के 12 एवं गोली फायर से संबंधित 05 कांड दर्ज हुए है। चोरी (गृहभेदन) एवं छिनतई के 08 कांड का उदभेदन करते हुए 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा गोली फायर के सभी (05) कांडों का उदभेदन करते हुए कांड में संलिप्त 11 अभियुक्तों को गिरफतार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि बहुमंजिली इमारतों में घंटा–दो घंटा के लिए बाहर जाने वाले गृह स्वामीनियों के घरों का ताला तोड़कर तथा जमशेदपुर के कदमा फार्म एरिया जैसे इलाकों के घरों का भी ताला तोड़कर चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है, चोर गिरोह अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और चोरी हुए माल की बरामदगी नहीं हो रही है, जबकि पुलिस हर चौक–चौराहे पर पूरा दिन वाहनों की चेकिंग में व्यस्त रहती है;</td><td>विगत दो माह में पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिलान्तर्गत गृहभेदन के कुल 24 काण्ड प्रतिवेदित हुये हैं, जिसमें से 04 काण्डों का उद्भेदन करते हुये कुल 16 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कदमा फार्म एरिया में घर में चोरी की घटना से संबंधित एक काण्ड कदमा थाना काण्ड संख्या–15/25, दिनांक 03.03.2025 धारा 305/331 (4)/331 बी०एन०एस० दर्ज किया गया है, जिसके उद्भेदन का प्रयास जारी है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चोरी, छिनतई, गोलीबारी की घटनाओं को रोकने, चोर गिरोह की गिरफ्तारी करने और लूटे गए माल की बरामदगी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>इस तरह के गंभीर मामलों में संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार SIT का गठन कर काण्ड अनुसंधान किया जाता है तथा त्वरीत कार्रवाई की जाती है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स० (04)–10/2025–1946/ राँची, दिनांक–22/03/25 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1353, दिनांक–17.03.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.3.25

सरकार के संयुक्त सचिव।